नया मदरसा पंजीयन हेतु निर्देशिका एवं मार्गदर्शन

मदरसा बोर्ड का उद्येश्य :-

" म.प्र. मदरसा बोर्ड का मुख्य उद्येश्य पंरपरागत मदरसों को दीनी तालीम के साथ-साथ उनके छात्रों को आधुनिक शिक्षा (दुनियावी तालीम) की मुख्य धारा से जोड़ना है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसों को शासकीय योजनाओं से जोड़ना एवं उनका पर्यवेक्षण (**Monitoring**) करना है। "

निर्देश एवं मार्गदर्शन :-

एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से नवीन समिति पंजीयन एवं मदरसा पंजीयन आवेदन करें। आवेदन करने संबंधी इस निर्देशिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसके अनुसार ही कार्यवाही करें ।

----

1. मदरसे का संचालन समिति द्वारा किया जाता है इस हेतु सर्वप्रथम बोर्ड में मदरसा संचालन समिति पंजीयन का ऑनलाईन आवेदन करें। इसका निर्धारित प्रारूप पोर्टल संचालक से प्राप्त करें। इसमें कम से कम 07 पदाधिकारी/सदस्य होंगे। (प्रारूप में सदस्यों के ओहदे/पद अंकित है आपस में तय करके ओहदे/पद बनाये)।
2. समिति पंजीयन प्रक्रिया के बाद समिति द्वारा चयनित सदस्य की ओर से मदरसा पंजीयन का ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।
3. मदरसा स्थापित कर उसमें ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश दें जो किसी अन्य शासकीय/अशासकीय शालाओं में पंजीकृत न हो। इन छात्र/छात्राओं की सूची तैयार कर प्रस्ताव के साथ बोर्ड में भी जमा करें। मदरसे को बोर्ड द्वारा मान्यता जारी करने के उपरांत इन छात्र/छात्राओं की SSSMID (समग्र आई-डी) की मैपिंग मदरसे से करके मदरसे शासन द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
4. ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व एक शपथ-पत्र का फॉरमेट पोर्टल पर उपलब्ध है उसका प्रिंट निकालकर उसमें अंकित अधिकृत क्षेत्रीय व्यक्तियों में से किन्ही दो व्यक्तियों से सत्यापित करायें। ध्यान रहे कि केवल एक अधिकृत व्यक्ति का सत्यापन मान्य नही होगा।
5. ऑनलाईन आवेदन करने के बाद पोर्टल संचालक से सम्पूर्ण आवेदन का प्रिंट दो पत्रों के साथ अवश्य प्राप्त करें। उन पत्रों के अनुसार प्रस्ताव की फाईल तैयार कर एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एवं दूसरी प्रति मदरसा बोर्ड कार्यालय में जमा करने पर ही आपके मदरसे की मान्यता संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मदरसे के पंजीयन एवं मान्यता के लिये सर्वप्रथम अपने ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें, मदरसे का निरीक्षण करायें एवं निरीक्षण रिपोर्ट बोर्ड में आवेदन करने की तिथि से 20 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाईन भिजवायें। इसके बाद ही आपके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।

निरंतर..........

7. समय-समय पर मदरसों से संबंधित अद्यतन जानकारी/Updates म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल की अधिकृत वेबसाईट **www.mpmb.org.in** पर देखी जा सकती है। इस वेबसाईट को कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य देखें।
8. मदरसे की जांच/निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति से कराया जाता है। निरीक्षण के समय मदरसा संचालक निरीक्षण कर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। उनके समक्ष प्रस्ताव/फाईल प्रस्तुत करें एवं अपने मदरसे का निरीक्षण कराने में सहयोग प्रदान करें।
9. बोर्ड के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले मदरसे को एक सत्र की मान्यता दी जा सकेगी इसके बाद प्रतिवर्ष मान्यता का नवीनीकरण प्राप्त करना होगा। मदरसों को मान्यता जारी करना एवं उनका पंजीयन/मान्यता निरस्त करने का अधिकार केवल म.प्र. मदरसा बोर्ड को है।
10. कृपया ध्याान रहे कि मदरसे के नाम के साथ स्कूल शब्द का प्रयोग न करें। म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा स्कूलों को मान्यता प्रदान नही की जाती है। मदरसे को स्कूल नही होना चाहिये तथा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नही होना चाहिये ।
11. मदरसे की मान्यता प्राप्त कर उसकी मोहर बनवाये जिसमें पंजीयन क्रमांक भी अंकित हो। मदरसे का बोर्ड भी बनवायें एवं पंजीयन क्रमांक उसमें भी अंकित करें।
12. मदरसे का बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के उपरांत छात्र/छात्राओं का प्रवेश रजिस्टर बनाये तथा स्टॉफ व छात्रों की उपस्थिति पंजी बनायें।
13. शिक्षकों की व्यक्तिगत फाईल बनाये और उनका सत्यापन अपने क्षेत्र के संकुल केन्द्र से कराये।
14. मदरसे का टाईम टेबिल बनाये एवं उसे मुनासिब जगह लगायें एवं लागू भी करें।
15. म.प्र.मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर मदरसे अपने नजदीक के संकुल केन्द्र से लगातार संम्पर्क में रहकर स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेण्डर अनुसार सभी मदरसा छात्रों की सहभागिता शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक (बालरंग), खेलकूद एंव अन्यक सभी गतिविधियों में सुनिश्चत कराएं।
16. किसी भी कठिनाई एंव मार्गदर्शन हेतु म.प्र. मदरसा बोर्ड का फोन नं. 0755-2735931 तथा ई-मेल mpmbmanyata@gmail-com पर संम्पर्क कर सकते है।

मदरसा पंजीयन आवेदन करने की प्रक्रियाः-

ऑनलाईन आवेदन करते समय कियोस्क पर ले जाने हेतु अभिलेख/जानकारियां इस प्रकार है :-

1. मदरसा संचालन करने वाली समिति के अध्यक्ष/सचिव का आधार कार्ड अवश्य लेकर जायें।
2. मदरसे का फोटो लेकर जायें। कम्प्यूटर से बनाया गया फोटो अपलोड नही करें।
3. शपथ-पत्र के फॉरमेट की दो अधिकृत व्यक्तियों से सत्यापित मूल प्रति ऑनलाईन आवेदन फार्म में अपलोड करें।
4. छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्या एवं शिक्षकों की जानकारी लेकर जायें।
5. मदरसा संचालन समिति का पंजीयन मदरसा बोर्ड में कराने के लिये सदस्यों की जानकारी के विवरण का फॉरमेट पोर्टल से प्राप्त कर उसे भरे एवं समिति पंजीयन आवेदन फार्म में उसे अपलोड करें।

निरंतर..........

6. मदरसा पंजीयन आवेदन में समिति के विवरण में ऑनलाईन समिति पंजीयन आवेदन की प्रति अपलोड करें।
7. मदरसा निजि भवन में स्थापित करने की दशा में केवल बिजली का बिल अपलोड करायें।
8. यदि मदरसा किराये के भवन में स्थापित करना है तो वैद्य/वास्तविक किराया–नामा एवं बिजली का बिल दोना अपलोड करायें।
9. ऑनलाईन आवेदन में मदरसे का सम्पूर्ण पता अवश्य उपलब्ध कराये। जिसमें मकान नं. गली नं. एवं मदरसे के पास किसी चर्चित स्थान का उल्लेख हो।
10. मदरसे के आवेदन फार्म में वास्तविक (Original) ई–मेल आई डी एवं मोबाईल नम्बर मदरसे के ज़िम्मेदार का अवश्य अंकित करें।

ऑनलाईन आवेदन उपरांत बोर्ड में भेजने हेतु निर्देश -

1. नवीन मदरसा पंजीयन के ऑनलाईन आवेदन के बाद पोर्टल से आवेदन के साथ दो प्रकार के पत्र प्रिंट में निकलेंगे। यह पोर्टल संचालक से अवश्य प्राप्त करें। इसमें एक पत्र सचिव, मदरसा बोर्ड, भोपाल के नाम से होगा एवं दूसरा पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से प्राप्त होगा। पत्र के अनुसार दो फाईलें बनाये एक फाईल मदरसा बोर्ड को एवं दूसरी फाईल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण ऑनलाईन आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति भेजे।
2. आवेदन के साथ प्राप्त पत्रों को ध्यान से पढ़े एवं उसमें क्या दस्तावेज़ संलग्न करना है का पूरा विवरण अंकित है। उसके अनुसार ही प्रस्ताव तैयार करें।

✦✦✦✦